

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 152 /21

उनवान

लक्ष्मण पुत्र भूरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- रंगलाल पुत्र श्री रामा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- मु0 बदाम पत्नी पन्ना खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- देवकरण पुत्र श्रीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- बरदु पुत्र श्रीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- मिदू पुत्र श्रीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 6- मेवा पुत्र श्रीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
- 7-प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 27/08/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम कल्याणपुरा(कादीसहना) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 428 रकबा 0.20 है0, 431 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नही चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा(कादीसहना) संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी खातेदारी दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा(कादीसहना) में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय-आज दिनांक 27/08/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक क्लर्क

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.